District Magistrate
Date 19.6.15
R.No. 4572
Confidential Section, Darbhanga

दिनांक 09.06.2015 को 11.00 बजे पूर्वा0 में समाहरणालय सभा कक्ष में श्री कुमार रवि, जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

NIC

उपस्थिति :–

पंजी के अनुसार

आज की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता के रूप में निम्नांकित विषयों पर आवश्यक निर्देश दिए गये :–

1. आगामी विधान सभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम
2. दि0 07.07.2015 को होनेवाले विधान परिषद चुनाव
3. फसल क्षति अनुदान का वितरण
4. आगामी बाढ़ 2015 की तैयारी

1. **विधान सभा चुनाव 2015** के आलोक में चल रहे मतदाता सूची अद्यतीकरण एवं शुद्धिकरण के संबंध में चर्चा करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि 15 मार्च, 2015 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन हो चुका है, उसमें प्रारूप–6 में मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु आवेदन लेना है तथा प्रारूप–7 में नाम विलोपन हेतु आवेदन लेना है एवं प्रारूप 8 में संशोधन आवेदन सभी बी0एल0ओ0 के माध्यम से प्रखंड में प्राप्त होना है। उसके बाद निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पास जमा करना है। समीक्षा/पर्यवेक्षण के क्रम में पाया गया है कि इसकी गुणवत्ता में कमी आयी है, इसलिए आयोग के निदेश का शत प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है। व्यक्तिगत तौर पर इन कार्यों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा। इसमें कहीं कोई Confusion नहीं होना चाहिए। सारे कार्य को आपको खुद देखना/करना है, सिर्फ पर्यवेक्षण करना नहीं है। नाम प्रविष्टि हेतु प्रत्येक मामले में उम्र का दस्तावेज एवं आवासीय पता का साक्ष्य भी रहना चाहिए। विशेषकर 18–19 वर्ष के मतदाताओं का उम्र सत्यापन होना आवश्यक है। प्रपत्र –7 के लिए नोटिस का तामिला आवश्यक है।

मतदाताओं के नाम प्रविष्टि हेतु जो भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उसका विधिवत अभिलेख होना चाहिए। स्वीकृत एवं अस्वीकृत दोनों मामले में अभिलेख आवश्यक है। तदनुसार सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी इसका सत्यापन कर लेंगे। परिवर्द्धन/विलोपन संबंधी सारे अभिलेख दुरूस्त कर लेंगे। संक्षिप्त पुनरीक्षण संबंधी सारे कार्यों का स्वयं अनुश्रवण करेंगे। त्रुटिपूर्ण ईपिक के सुधार हेतु भी सूची तैयार कर अविलम्ब जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजा जाय। जैसे हीं ईपिक प्राप्त होते हैं, उसका तुरंत वितरण सुनिश्चित किया जाय। प्रायः ऐसी शिकायत रहती है कि बी0एल0ओ0 द्वारा ईपिक का वितरण सहीं ढंग से नहीं किया जाता है। कंट्रोल टेबुल की जांच कर ली जाय। 20 प्रतिशत मतदान केन्द्रों से संबंधित पुनरीक्षण की जांच सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को करना है, इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 24.05.15 एवं 07.06.15 को विशेष अभियान में जो आवेदन प्राप्त हुए है, उसकी प्रविष्टि करा लेंगे। प्राप्त बी0एल0ओ0 किट का वितरण सुनिश्चित करेंगे। प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को बी0एल0ओ0 पंजी में संधारण सुनिश्चित करेंगे। इन सारे कार्यों में बहुत हीं संवेदनशीलता की आवश्यकता है। कम से कम 20 प्रतिशत मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची की जांच सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करना है। प्रपत्र–8 भरवा कर हीं संशोधन कराना है। मतदाता सूची में जो विशेषकर गड़बड़ियां है, उसमें ज्यादातर सम्बन्ध यथा–पिता/पति तथा पुरूष/महिला, उम्र, फोटो में महिला के स्थान पर पुरूष तथा पुरूष के स्थान पर महिला का फोटो होना, उम्र का ज्यादा होना आदि, इन सारी चीजों की जांच बी0एल0ओ0 के माध्यम से आप स्वयं अपने पर्यवेक्षण में कराना सनिश्चित करें एवं उसे दुरूस्त करवा लें।

2. दरभंगा जिले में **विधान परिषद का चुनाव** की घोषणा हो चुकी है। इसके लिए दिनांक 11.06.15 से नामांकन प्रारंभ होना है तथा दिनांक 07.07.15 को मतदान होना है। इसके लिए मतदाता सूची की तैयारी हो चुकी है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उप निर्वाचन पदाधिकारी से सम्पर्क कर मतदाता सूची का सत्यापन कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मतदाता सूची सहीं है। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, इसका शत प्रतिशत पालन सभी पदाधिकारी करेंगे। पंचायतों की योजनाओं का शिलान्यास/उद्घाटन नहीं होना है। किसी भी तरह का संशय होने पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा से सम्पर्क कर समाधान कर लेंगे।

3. **फसल क्षति अनुदान** का वितरण प्रायः सभी प्रखंडों में पूरा किया जा चुका है। जहां–जहां अवशेष राशि बची हुई है, उसका प्रतिवेदन तुरंत जिला को भेजने का निदेश दिया गया। इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा पत्र एवं प्रपत्र जारी किया गया है, उसके अनुरूप राशि कोषागार के माध्यम से प्रत्यार्पण/वापस करना है। बेनीपुर, हनुमाननगर एवं किरतपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कुछ अतिरिक्त राशि की मांग की गयी । इसके संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे स्वयं जांच कर देख लें कि उनकी मांग सहीं है अथवा नहीं तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

4. **आगामी बाढ़ की तैयारी** के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में हीं बैठक कर इसके लिए सभी प्रकार के आवश्यक निदेश दिए जा चुके हैं। पुनः निदेशित किया गया कि पूर्व के निदेशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। विशेषकर सरकारी एवं निजी नाव मालिकों/नाविकों का सत्यापन एवं सूचीबद्ध कर लेंगे तथा निजी नाव मालिको/नाविकों से एकरारनामा भी करना सुनिश्चित करेंगे ताकि आपात स्थिति में उनकी सेवा ली जा सके। सत्यापन प्रतिवेदन एवं सूची जिला को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा देंगे। सरकारी नावों की मरम्मती आदि ससमय सुनिश्चित कर लेंगे। यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी निजी नाव मालिकों/नाविकों के बकाये राशि का भुगतान हो चुका है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बहादुरपुर, दरभंगा एवं हनुमाननगर से नाव सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है। उसे तुरंत भेजने का निदेश दिया गया। प्रखंड नियंत्रण कक्ष में प्रतिनयुक्त कर्मियों की सूची भी जिला को अप्राप्त है, उसे भी तुरंत भेजने का निदेश दिया गया। पूर्व में उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अंचलों से अप्राप्त है, जिसके लिए विभाग से स्मार प्राप्त हो रहे हैं। प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन द्वारा सभी संबंधित अंचलाधिकारी को राशि नोट करा दिया गया तथा उसे तुरंत भेजने का निदेश दिया गया।

इसके पश्चात् संक्षिप्त में अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा की गयी :–

1. राजस्व कार्यों की समीक्षा

(क) आपरेशन भूमि दखल

आपरेशन भूमि दखल की समीक्षा में गत माह की प्रगति शून्य है। इस जिला के 91682 लाभान्वितों में अद्यतन मात्र 41856 लाभान्वितों का डाटा हीं **प्रपत्र–1** में अपलोड हो पाया है। गत बैठक में दिए गये स्पष्ट निदेश के वावजूद भी इस मामले में अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के स्तर पर सम्यक रूप से ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो दुःखद है। बहादुरपुर, सिंहवाड़ा एवं बिरौल अंचल में 6000 से अधिक डाटा अपलोड करना बांकी बचा हुआ है, उसीप्रकार घनश्यामपुर एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी अंचल में भी 5000 से अधिक डाटा अपलोड करना बांकी है। सभी संबंधित पदाधिकारी को इसमें तत्काल प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

प्रपत्र–2 में भी जो आंकड़े अंचलाधिकारी द्वारा समर्पित किये गये हैं, वह भी काफी कम है। गत माह में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। अद्यतन सभी अंचलों का प्रपत्र–2 में कुल 4212 मामले प्रतिवेदित हैं। प्रपत्र–2 के आधार पर दखल दिलाने की कार्रवाई भी काफी धीमी है, अर्थात् पूरे जिले में प्रपत्र–2 में दर्ज बेदखली के 4212 मामले के विरूद्ध मात्र 1225 मामले में ही दखल दिलाया गया है, जो बिल्कुल असंतोषप्रद है।

सभी संबंधित पदाधिकारी को इसमें प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

(ख) अभियान बसेरा

अभियान बसेरा के अन्तर्गत अबतक महादलित 694 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षित महादलित परिवारों में से कुल 262 परिवारों को भूमि उपलब्ध करा दिया गया है, शेष को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। साथ हीं अन्य सुयोग्य श्रेणी में अनुसूचित जाति के 915 परिवारों, अत्यन्त पिछड़ी जाति के 653 तथा पिछड़ी जाति के 322 भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है एवं सर्वेक्षण जारी है। सर्वेक्षित अन्य सुयोग्य श्रेणी में अनुसूचित जाति के 557 परिवारों, अत्यन्त पिछड़ी जाति के 315 तथा पिछड़ी जाति के 223 भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध करा दिया गया है, शेष को भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

(ग) वासरहित महादलित परिवारों को भूमि उपलब्धता

समीक्षा के दौरान पाया गया कि दरभंगा जिले के सर्वेक्षित कुल 5849 बासरहित महादलित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराया जा चुका है। इस योजनान्तर्गत सभी सर्वेक्षित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना है। जिन्हें कय नीति के तहत भूमि उपलब्ध कराना है, उन्हें कय कर भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला से राशि उपावंटित की गयी है। सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि जो भी राशि उन्हें उपलब्ध करायी गयी है, उसका व्यय हर हाल में करना सुनिश्चित किया जाय।

(घ) दाखिल खारिज

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिले के सभी 18 अंचलों को मिलाकर कुल 7669 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 5809 दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया गया है तथा 1866 मामले लम्बित हैं, जो संतोषजनक नहीं है।

समीक्षा के कम में पाया गया कि जिले में गत माह में जिला से सबसे कम जाले, तारडीह एवं घनश्यामपुर में काफी कम दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया गया है। संबंधित अंचलाधिकारी को इसमें प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

(ड.) लगान वसूली

वसूली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में गत माह तक 34,99,269.00 रूपये की वसूली की जा सकी है। जिला में सबसे कम वसूली **बहेड़ी** अंचल प्रगति शून्य है, अन्य अंचलों में जाले एवं किरतपुर में काफी कम वसूली हुई है।

*सम्परिवर्त्तन के तहत **अनुमंडलाधिकारी, बिरौल** का प्रगति शून्य है।*

सभी संबंधित पदाधिकारी को इसमें विशेष ध्यान देते हुए प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

(च) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के भूमि विवाद निवारण अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय वाद

समीक्षा के कम में पाया गया कि 90 दिन के बाद वाले भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दरभंगा सदर के न्यायालय में 63, बेनीपुर में 03 तथा बिरौल के न्यायालय में 14 मामले लम्बित है।

(छ) सैरातो की वन्दोवस्ती

वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु सैरातों की बन्दोवस्ती के मामले में कुल 84 सैरातों में अद्यतन मात्र 22 सैरातों की बन्दोवस्ती होने की सूचना दी गयी। शेष अबन्दोवस्त सैरातों में विभागीय वसूली किये जाने की बात कही गयी। सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि वे अबन्दोवस्त सैरातों की बन्दोवस्ती प्रतिदिन कार्यालय दिवस में कराने की व्यवस्था करें। इसके लिए विज्ञापन भी निकालने का निदेश दिया गया।

(ज) लोक भूमि अतिक्रमण

समीक्षा के दौरान पाया गया कि लोक भूमि अतिक्रमण के संबंध में जिले में कुल 131 मामले लम्बित हैं। गत माहों में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। सभी लम्बित मामले का शीघ्र नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

उपरोक्त के अलावे सभी अनुमंडल पदाधिकारी को प्रत्येक महीने अतिक्रमण हटाने हेतु अभियान चलाने का भी निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।

(झ) चालू खतियान का निर्माण

समीक्षा के दौरान पाया गया कि चालू खतियान के निर्माण की दिशा में अभीतक किसी भी अंचल में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, जबकि इसके लिए सरकार एवं जिलास्तर से लगातार निदेश दिए जा रहे हैं। पूरे जिले में 1277 मौजा में अभीतक मात्र 497 मौजा का चालू खतियान निर्माण किये जाने की सूचना दी जा रही है तथा मात्र 265 में प्रारूप प्रकाशन किया गया है। प्रगति काफी खराब पायी गयी है। सभी अंचलाधिकारी को इसमें विशेष अभिरूचि लेकर प्रगति लाने हेतु निदेशित किया गया।

(ट) जन शिकायत

जन शिकायत राजस्व से संबंधी मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव कोषांग का एक मामला बहेड़ी अंचल में लम्बित बताया जा रहा है। जिलाधिकारी स्तर के 242 मामले लम्बित है, जिन्हें शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

(ठ) विभिन्न विभागों को भूमि उपलब्ध कराना

विभिन्न कार्य हेतु यथा–नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा थाना/ओ0पी0 को भूमि उपलब्ध कराने के बिन्दु की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अभी भी इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं लायी जा रही है। सभी मामले में गत माह में प्रगति शून्य है।

सभी अंचलाधिकारी को यह भी निदेशित किया गया कि विशेष प्राथमिकता के रूप में भूमि उपलब्ध कराने हेतु कारगर कार्रवाई करेंगे।

(ड) भूमि सम्परिवर्त्तन अधिनियम

भूमि सम्परिवर्त्तन संबंधी अंचलों से जो प्रस्ताव अनुमंडल में भेजे जा रहे हैं, उसकी संख्या कांफी कम है। सदर अनुमंडल में 23 मामले, बेनीपुर में 51 तथा बिरौल अनुमंडल में 39 मामले प्राप्त हुए हैं। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी, सदर द्वारा 5 बेनीपुर में 21 एवं बिरौल द्वारा 17 मामले निष्पादित किये गये हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को प्राप्त मामले का निष्पादन राजस्व हित में तत्काल करने का निदेश दिया गया साथ सभी अंचलाधिकारी को अधिक से अधिक सम्परिवर्त्तन का प्रस्ताव अपने अनुमंडल पदाधिकारी को भेजने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई।

18.6.15
अपर समाहर्त्ता,
दरभंगा

18/6/15
जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 1756/रा0, लहेरियासराय, दिनांक 19 वीं जून, 2015 ।

प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि जिलाधिकारी, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

18.6.15
अपर समाहर्त्ता,
दरभंगा

18/6/15
जिलाधिकारी,
दरभंगा।